

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक **756** / गोपनीय / 2022
वार-12-31/72 (भाग-चार-ए)

जबलपुर, दिनांक **25** जुलाई, 2022

कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अम्बाह जिला मुरैना की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "ग्वालियर" के स्थान पर "भिण्ड" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके स्थानांतरण के समय उनके मूल एवं बदले हुये गृहजिले को विचार में लिया जावेगा। गृहजिला परिवर्तन की अनुमति मात्र अनुषंगिक उद्देश्य (ancillary purposes) के लिये है, जैसे कि गृहनगर अवकाश यात्रा सुविधा (HTC) का दावा इत्यादि। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला भिण्ड, उनके मूल गृहजिला ग्वालियर के साथ जोड़ा जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(रामकुमार चौहान)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **757** / गोपनीय / 2022
वार-12-31/72 (भाग-चार-ए)


जबलपुर, दिनांक **25** जुलाई, 2022

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।।
- प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 590/लेखा अनु./2022, दिनांक 28-06-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अम्बाह जिला मुरैना की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि लेने का कष्ट करें।

- 6 कुमारी पुनीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अम्बाह जिला मुरैना को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 416/2022, दिनांक 15-06-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 7 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 9 प्रशासनिक अधिकारी, बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी०ए० (गोपनीय शाखा)/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के आलोक में सभी सामान्य प्रशासनिक आदेशों/परिपत्रों जैसे कि स्थानांतरण, पदस्थापना इत्यादि की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश/परिपत्र इत्यादि की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।



(रामकुमार चौहान)
रजिस्ट्रार जनरल
स्ट्र